(मैनुअल-12)
अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमः-

केन्द्र द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रोंे में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1999-2000 में चार जनपदों से प्रारम्भ होकर वर्तमान में समस्त जनपदों में किया जा रहा है। अभियान का संचालन जनपद स्तर पर जिला पंचायत के नियन्त्रणाधीन जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जाता है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रभावी जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तिगत शौचालयों की मांग का सृजन किया जाना है ताकि शौचालयों के निर्माण के उपरान्त उनका उपयोग हो तथा व्यक्तियों में स्वच्छ आदतें भी विकसित हों।

1. आई0ई0सी0 गतिविधियां

सूचना, शिक्षा एवं संचार इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता के सृजन के दृष्टिकोण से आई0ई0सी0 गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। उसमें ग्रामीण जनता की सम्पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेरकों को आई0ई0सी0 के लिए मात्राकृृत धनराशि से प्रोत्साहन की धनराशि दी जाती है। प्रोत्साहन की धनराशि प्रेरक की परफार्मेन्स पर आधारित होगी और इस हेतु प्रेरक द्वारा ग्राम वासियों को इस

हद तक प्रेरित किया जायेगा कि वह शौचालय का पूर्ण निर्माण कराने के उपरान्त उसका प्रयोग भी करें तथा साफ-सफाई रखें।

2. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण

शासनादेश दिनांक 25 अगस्त 2004 द्वारा व्यक्तिगत शौचालय की ईकाई लागत रू0 625 से बढ़कर रू0 1900 की गयी। गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को रू0 900 केन्द्रांश तथा रू0 300 राज्यांश कुल रू0 1200 अनुदान के रूप में तथा रू0 300 ग्राम पंचायत द्वारा विशेष प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है और रू0 400 लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। कुल लक्ष्य के 10 प्रतिशत के समतुल्य गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए भी व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु रू0 1500 विशेष प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है। विगत चार वर्षो में निर्माण सामग्री के मूल्यों में हुई वृ(ि और भारत सरकार द्वारा प्रति शौचालय प्रोत्साहन धनराशि रू0 900/- से बढ़ाकर रू0 1500/-रू0 कर दिये जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओ के समस्त बी0पी0एल0 परिवारों के लिए रू0 4940/- की इकाई लागत से शौचालय निर्माण कराया जायेगा, जिसका फंडिंग पैटर्न निम्नवत् हैः-

केन्द्रांश	ः	1500
राज्यांश तथा विशेष प्रोत्साहन	:	3040
लाभार्थी का अंश	ः	400
योग-	ः	4940/-

ः

3. सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स

कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु इसके रख-रखाव के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सामुदायिक शौचालय का निर्माण केवल उन ग्राम पंचायतों में किया जा सकता है जहां या तो बाजार, मेला आदि लगता हो या कई परिवारों के पास शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न हो।

4. स्कूल स्वच्छता एवं आंगनवाड़ी स्वच्छता

ग्राम की स्वच्छता प्राथमिक विद्यालयों से ही प्रारम्भ की जायेगी। बच्चों मेंे नये विचारों के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने एवं शिक्षित करने में विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग इकाईयों का निर्माण कराया जाता है। शौचालयों के निर्माण में विद्यालय के प्राधानाध्यापक एवं अभिभावकों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्कूल शौचालयों के निर्माण के उपरान्त उसके रख-रखाव का दायित्व भी सम्बन्धित विद्यालय का है। एक शौचालय की लागत रू0 20,000/- निर्धारित है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में बाल मैत्रिक शौचालय बनाने का प्राविधान किया गया है जिसकी ईकाई लागत रू0 5000/- है।

5. विशेष प्राविधान

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए व्यक्तिगत शौचालयों का कम से कम 25 प्रतिशत अंश अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु मात्राकृत किया गया है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान - प्रगति

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदेश में वर्ष 1999-2000 से भारत सरकार के वित्त पोषण से संचालित किया जा रहा है जिसमें लगभग 63 प्रतिशत केन्द्रांश, 23 प्रतिशत राज्यांश तथा 14 प्रतिशत लाभार्थी/पंचायत अंश सम्मिलित है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को चयनित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा उक्त पैर्टन को संशोधित करते हुये केन्द्रांश 58 प्रतिशत राज्यांश 31 प्रतिशत तथा लाभार्थी/पंचायत अंशं 11 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत परियोजना प्रारम्भ से माह मार्च, 2009 तक भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में रू0-94959.00 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश एवं प्रोत्साहन के रूप में रू0-79283.00 लाख अवमुक्त किया गया। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि रू0-174242.00 लाख से माह मार्च, 2009 तक रू0-143413.00 लाख व्यय कर कुल 10044971 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जिसमें से बी0पी0एल0 परिवारों के लिये 4935677 व्यक्तिगत शौचालय तथा ए0पी0एल0 परिवारों के लिये 5109294 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। उक्त के अतिरिक्त 2275 सामुदायिक ;महिलाद्ध शौचालय काम्पलेक्स एवं 214674 स्कूल शौचालयों तथा 64424 आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण कराया गया है।